



पूर्व तट रेलवे/EAST COAST RAILWAY

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Chief Personnel Officer
रेल सदन, द्वितीय तल, भुवनेश्वर- 751 017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt.Srl. No. 102/2016

RBE NO-82/2016

पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/ Pers/R/Fixation.

दिनांक/Date: 03.08.2016

सेवा मे,

सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरु, संबलपुर,
मु:कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

विषय/ Fixation of Pay existing Gr.-D employees in the revised pay structure.


Sub: Clarification reg.

पूतरे के विषय क्रमांक/ECOR's Subject Serial No-FIX-3/2016.

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं PC-VI/2008/I/3/1 दिनांक 04.07..2016 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's letter No. PC-VI/2008/I/3/1 dated 04.07.2016 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

संलग्न/Encl: यथोक्त/As above,


(M.Ganga Bhavani)
Dy. Chief Personnel Officer (IR&W.)
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

- 1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
- 2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र, अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 4) वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)मुकाधि के निजी सचिव/
- 5) सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.-सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण)

1165
05/7/16

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

पीसी-VI सं. 370
सं.पीसी-VI/2008/आई/3/1
PC-

महाप्रबंधक(पी)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

03/12
26/12/16
आरबीई सं. 82/2016
नई दिल्ली, दिनांक 04.07.2016

विषय: मौजूदा ग्रुप 'डी' कर्मचारियों का संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

भारत सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप बोर्ड के दिनांक 29.10.2008 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 160/2008) के तहत, पीबी-1 (5200-20200 रुपए), ग्रेड पे 1800/- रुपए में ग्रुप 'डी' कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ को छोड़कर) को रखने और उनका वेतन निर्धारित करने से संबंधित अनुदेश जारी किए गए थे। बोर्ड के दिनांक 12.01.2009 एवं 08.11.2010 के समसंख्यक पत्रों के तहत इस मामले में आगे स्पष्टीकरण/अनुदेश जारी किए गए थे।

2. क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त विभिन्न संदर्भों और इस मामले में एनएफआईआर द्वारा उठाए गए मुद्दे के आधार पर रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 7(1) के नोट 1 में निहित शर्त को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे गैर-दसवीं पास/गैर-आईटीआई ग्रुप 'डी' कर्मचारी, जो रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की अधिसूचना के जारी होने की तारीख को सेवा में थे और जो प्रशासनिक कारणों से प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम की अधिसूचना के छः माह के भीतर सेवानिवृत्त हो गए थे/उनकी मृत्यु हो गई अथवा जिन्होंने सेवा छोड़ दी, उन्हें ग्रेड पे 1800/- रुपए के साथ पीबी-1 में रखा जाए।

3. इसे इस मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

म.पं.डा.
(एम. के. पंडा)

संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड